International Conference on Social Science & Humanities Trends
April 2025
International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
ISSN: 2584-2455

सामाजिक न्याय और नैतिकता

यादवेन्द्र कुमार आर्य
असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान
प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद, शाहजहाँपुर

सारांश

एक न्यायपूर्ण समाज के तीन आधार स्तंभ मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और नैतिकता है। मानवाधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को मिलनी चाहिए, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म या स्थान कुछ भी हो। मानवाधिकार जन्मजात, अविभाज्य और सार्वभौमिक अधिकार हैं इसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दासता से मुक्ति जैसे अधिकार शामिल हैं। सामाजिक न्याय इन अधिकारों को बिना भेदभाव के समानता, गरिमा और अवसरों को लागू करने की प्रक्रिया है। नैतिकता वह आधार है जो इन अधिकारों के सम्मान और संरक्षण के लिए आवश्यक मूल्य प्रदान करता है। जिससे एक सहभागी समाज का निर्माण हो।

शब्द कुंजी: मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, नैतिकता, लोकतांत्रिक अवधारणा।

प्रस्तावना

मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और नैतिकता में अंतर्संबंध पाया जाता है। जो एक मजबूत लोकतंत्र की मजबूत आधारशिला है, मानवाधिकार सामाजिक न्याय की आधार स्तंभ है। इस मजबूत नींव में ही समाज अधिकारों का सम्मान करता है, तो सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में यह सुनिश्चित होता है कि मानवाधिकार सभी जाति, लिंग, धर्म के लोगों को सुलभ हो। राज्य की यह नैतिक रूप से जिम्मेदारी है कि उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की व्यवस्था ऐसी करें जो समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा दे सके। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा की मूल भावना है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समुदाय के विभिन्न सदस्यों का जीवन तभी अविरल रूप से गतिमान रह सकता है जबकि हर सदस्य के मन में यह आस्था और विश्वास रहे कि मेरी प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं की जा रही है जो कि मेरी प्रगति को अवरोध करती हो। मानव अधिकारों की भावना का मुख्य तत्व विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। मानवाधिकारों का संबंध मनुष्यों के व्यक्तित्व विकास से जुड़ा है मनुष्य प्रारंभ से ही सामाजिक प्राणी है समाज में रहने के कारण उसके कुछ कर्तव्य बनते हैं वहीं दूसरी ओर उसे कुछ अधिकार भी मिलते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्य के लिए कर्तव्य का रूप ले लेता है। समाज के हर प्राणी को जीने का अधिकार है तो समाज के हर प्राणी का कर्तव्य भी है कि वह उसके जीवन में बाधक न बने। इसलिए सभी स्तरों के राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों को अपना विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

मानवीय अधिकारों की भावना का विकास मानवीय- अधिकारों की भावना का विकास क्रमशः धीरे-धीरे हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा (Magna Carta) अर्थात् "महान घोषणा पत्र" प्रकाशित हुआ। इसमें कहा गया कि किसी नागरिक को उस समय तक बंदी न बनाया जाए और न ही निर्वासित किया जाए, जब तक अपराध सिद्ध न हो जाये। ब्रिटेन में ही 1679 ईस्वी में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (Habeas Corpus Act)

पारित किया गया जिसमें व्यवस्था की गयी कि बिना अभियोग चलाये किसी भी व्यक्ति को नजरबंद नहीं रखा जा सकता। 1689 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई क्रांति ने मानवाधिकार की अवधारणा को विस्तार दिया। इस क्रांति में "अधिकार पत्र" (Bill of Rights) के द्वारा व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान की जिनका अब तक हनन किया जाता था।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ-साथ 1776 ईस्वी में मानवाधिकारों की घोषणा में मानव अधिकारों का विशुद्ध वर्णन किया गया। जिसमें कहा गया कि हम इन शक्तियों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। सभी मनुष्यों को ईश्वर ने कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता और इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता तथा अपनी समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहने के अधिकार भी सम्मिलित हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में बुर्बो वंश के शासक लुई 16वें और उसकी साम्राज्ञी को कत्ल करके गणतंत्र की स्थापना की। उस क्रांति में व्यक्ति की मुक्ति के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गयीं:

1. स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की घोषणा।
2. लोकतंत्र एवं लोक प्रभुता के सिद्धांत का समर्थन।
3. राष्ट्रीयता का सिद्धांत।
4. नवीन अधिकार (संपत्ति की सुरक्षा, स्वतंत्रता, भाषण, लेख आदि) की घोषणा।

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों - **बर्लिन कांग्रेस, ब्रुसेल्स सम्मेलन, हेग सम्मेलन (1899) तथा (1907)** में सामूहिक रूप से तथा **राष्ट्र संघ (League of Nations)** ने मानवाधिकारों पर अत्यधिक बल दिया। सन् **1929** में अंतर्राष्ट्रीय विधि संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों को घोषित किया। वर्तमान मानवाधिकार संबंधी गतिविधियां वास्तव में **द्वितीय विश्व युद्ध** का परिणाम हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित अमानवीय घटनाओं की आलोचना करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति **फ्रैंकलिन रूजवेल्ट** का भाषण, जिसमें रूजवेल्ट ने मानव की **चार मूलभूत स्वतंत्रताओं** का उल्लेख किया था, जो भविष्य में मानवाधिकार संबंधी घोषणा का मुख्य आधार बना। **1946** में **एलिनोर रूजवेल्ट** की अध्यक्षता में गठित मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा स्वीकृत और घोषित किए जाने के साथ विश्व समुदाय द्वारा न केवल मान्यता दी गई बल्कि अपने संविधान में स्थान देकर विधिक स्वरूप भी प्रदान किया गया। **10 दिसंबर 1948** को मानवाधिकारों की **सार्वभौम घोषणा** की गई।

न्याय प्रत्येक विधिक व्यवस्था की आत्मा है। न्याय एक स्थिर अवधारणा न होकर अपना स्वरूप निरंतर गतिशील रखती है। न्याय का विचार एक गतिशील पदार्थ की तरह है। अतः इसके निहितार्थ समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। परंतु आधुनिक युग आते मौलिक परिवर्तन आ गया है। वर्तमान में इस पर मुख्यतः दो दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है:

1. **परंपरागत दृष्टिकोण:** इस दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात् सत्चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था। साधारणतः प्रचलित मूल्यों और मान्यताओं को न्यायपूर्ण माना जाता था।

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

2. **आधुनिक दृष्टिकोण:** आधुनिक युग में न्याय के रूप में परिवर्तन आया तथा न्याय की अवधारणा अब व्यक्ति की योग्यता तक सीमित नहीं रह गयी। अब न्याय की अनुभूति में स्वतंत्रता तथा समता जैसे राजनीतिक तथा सामाजिक मूल्यों को भी शामिल किया जाने लगा।
   यहाँ आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट का मंगल (Unicode) में सटीक रूपांतरण और शुद्ध रूप दिया गया है:

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि न्याय की धारणा जिसका चिंतन व्यक्ति के सद्गुण के रूप में प्रारंभ हुआ और समकालीन चिंतन में सामाजिक न्याय में परिवर्तित हो गया है।

सामाजिक न्याय, न्याय का एक ऐसा सिद्धांत जो नैतिक मूल्यों की अवधारणा से निकलकर सामने आता है। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से समाज में व्यक्तियों के बीच न्याय की स्थापना होती है। इससे सामाजिक संतुष्टि और सामाजिक आनंद की प्राप्ति होती है, एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था समाज में मौजूद विषमता को समाप्त करती है। सामाजिक न्याय समाज में लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करती है, इसके फलस्वरूप व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के लिए विकास का अवसर मिलता है। जो समाज में समानता और सामाजिक अधिकार से जुड़ा है।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उनका विश्वास था कि यदि इन मूल्यों का सही ढंग से पोषण किया जाए तो समाज में व्यक्तियों को विभाजित करने वाली जाति की बाधा मौजूद नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करेगा। इसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने **सामूहिक लोकतंत्र** का नाम दिया है। उनके अनुसार, सामाजिक लोकतंत्र जीवन जीने का तरीका है जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना पर विश्वास करता है। इस प्रकार अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का सिद्धांत केवल सामाजिक संपदा का समान वितरण ही नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका भी है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दर्शन का सार यह है कि सभी व्यक्तियों में एकता और समानता रहे। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय पर इसलिए जोर दिया कि इसमें हर प्रकार का न्याय शामिल होता है जैसे कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक तथा प्रशासकीय न्याय। भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दर्शन के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और जाति, वर्ण भेद का अंत किया गया है।

1. डॉ. आशा यादव, भारतीय स्त्री: दशा एवं दिशा, लोकनाथ पब्लिकेशंस वाराणसी, पृष्ठ संख्या 91-92

2 .पुष्पेश पंत, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, टाटा मैकग्रा हिल्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 344

3. An international peer reviewed multidisciplinary referred research journals (यह अंग्रेजी में ही रहेगा)

4. डॉ. अमरनाथ पासवान, डॉ. अंबेडकर और समावेशी लोकतंत्र, अखंड पब्लिशिंग हाउस दिल्ली भारत पृष्ठ संख्या 195

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

वाली पीढ़ी में सामाजिक चेतना एवं मूल्यबोध के विकास का एक प्रभावशाली माध्यम है।

बीज शब्द - बलमन ,बाल साहित्य , डिजिटल युग , सोशल मीडिया, सूचना-संचार , मोबाइल इंटरनेट , डिजिटल तकनीकी ।

1. बाल **साहित्य में साहित्य और और समाज का अंतर्संबंध**

साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि साहित्य अपने समय की सामाजिक चेतना, वैचारिक पृष्ठभूमि तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियो को अभिव्यक्त करता है। साहित्य केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम न होकर सामाजिक यर्थाथ को भी प्रस्तुत करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साहित्य और समाज का संबंध पारस्परिक एवं अन्योन्याश्रित है। समाज साहित्य को जन्म देता है और साहित्य समाज को दिशा प्रदान करता हैं । साहित्य केवल वयस्क मन को ही नहीं अपितु बालमन को भी आकर्षित करता रहा है ।

साहित्य न केवल व्यस्कों के मनोरंजन, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास में सहायक होता है, बल्कि बालक के मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास को भी समृद्ध करता है। यह दोनों ही पीढ़ियों को संवेदनशीलता, मूल्यबोध और चिंतनशीलता प्रदान करते हुए उनके व्यक्तित्व को संतुलित एवं समृद्ध बनाने में समर्थ है । साहित्य के माध्यम से अनुभव, आदर्श और जीवन-दृष्टि पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित होते रहते हैं, जिससे समाज का सतत् विकास निरंतर चलता रहता है। प्राचीन काल से ही बाल साहित्य की प्रासंगिकता रही है। प्राचीन संदर्भ में बालमन उपयोगी साहित्य मौखिक परंपरा, लोककथा तथा धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से प्रकाशित होती थी। परंतु आधुनिक समय में मुद्रित बाल पुस्तकों पत्र- पत्रिकाओं ने बाल साहित्य को समृद्ध किया। बाल साहित्य के इस रूप ने बालमन के मनोरंजन, जिज्ञासा और भौतिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु हम जानते हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और समयानुसार साहित्यिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ और 21वीं शताब्दी में डिजिटल क्रांति ने बाल साहित्य के स्वरूप,संरचना तथा अभिव्यक्ति को अत्यधिक व्यापक रूप में प्रदर्शित किया।

बाल साहित्य के महत्व के संदर्भ में डॉक्टर विजय लक्ष्मी सिन्हा कहती है कि "बालक, देश का भावी कर्णधार है। आज के बालक कल का राष्ट्र निर्माता है। अपनी योग्यता के बल पर जब वह बुराइयों को दूर कर अपने समाज तथा देश में नई चेतना भरता है तब वही राष्ट्र विकसित होकर उन्नतशील देशों के समक्ष खड़ा होने

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

योग्य हो जाता है। किन्तु आरम्भ में बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। अतः उसके अनिश्चित एवं अनिर्धारित भविष्य की रूपरेखा देना हमारा काम है और यह कार्य साहित्य के माध्यम से किया जाता है। इसलिए बाल साहित्य की महत्ता अन्य साहित्य से अधिक बढ़ जाती है।"**1"**
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए लिखा जाने वाला साहित्य अन्य साहित्य से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सही मायने में वही सच्चा बाल साहित्य हो सकता है जो बालकों के मन में जिज्ञासा, उत्सुकता और कौतूहल जैसे संवेगों को बनाए रखें तथा जीवन में उपस्थित चुनौतियों से भली-भांति निपटने के लिए तैयार कर सके।

2. **आज का सामाजिक परिवेश और बाल साहित्य**

आज का सामाजिक परिवेश तकनीकी विस्तार, वैश्वीकरण, सूचनाओं की तीव्रता और सांस्कृतिक विस्तार की अंतःक्रिया से निर्मित है। बच्चों का जीवन अब डिजिटल माध्यमों से अत्यधिक व्यापक रूप में जुड़ चुका है। ऐसे में बाल साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होकर डिजिटल बाल साहित्य के रूप में विकसित हुआ है, जो ई-पुस्तक, ऑडियो-वीडियो कथा, इंटरएक्टिव एप्स और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बच्चों तक पहुँचता है।
निरंकार देव सेवक के अनुसार "बच्चों का मन अत्यंत चंचल होता है और वे किसी विषय पर अधिक समय तक अपने चित्त को एकाग्र नहीं रख पाते। उनमें कोतूहल और जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, जिसके कारण वे नई-नई वस्तुओं को देखने, समझने और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। रंग-बिरंगी, आकर्षक तथा लयात्मक वस्तुएँ उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करती हैं और गद्य की अपेक्षा गीत उन्हें अधिक प्रिय लगते हैं। उचित शिक्षा और उपयुक्त साहित्य के माध्यम से उनकी रुचि को सकारात्मक दिशा में मोड़कर उन्हें एकाग्रचित्त बनाना संभव है।"**2**
निरंकार देव सेवक का यह कथन वर्तमान समय में डिजिटल बाल साहित्य के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज इंटरनेट, मोबाइल, ई-बुक, ऑडियो-विजुअल कहानियों और शैक्षिक ऐप्स के माध्यम से बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के अनेक नए साधन उपलब्ध हैं। डिजिटल माध्यमों में चित्रात्मकता और संगीतात्मकता का समन्वय होने के कारण यह बच्चों की जिज्ञासा और रुचि को अत्यधिक बढ़ाता है।
वर्तमान समय में बालक तकनीकी परिवेश में पल -बढ़ रहा है ,जिससे उसका तकनीकी संचार माध्यमों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। यही कारण है कि अब बालक

पुस्तकों ,पत्र-पत्रिकाओं के लिखित संस्करणों से ज्यादा श्रव्य-दृश्य संसाधनों से ज्यादा प्रभावित हो रहा है।आज के सामाजिक परिवेश में जहाँ डिजिटल माध्यम बच्चों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं, वहाँ डिजिटल बाल साहित्य की प्रासंगिकता अत्यंत बढ़ जाती है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने हमारे सामाजिक जीवन के साथ-साथ साहित्यिक दुनिया को बहुत ही अधिक प्रभावित किया। पहले के समय में साहित्य किताबों ,पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालयों तथा समाचार पत्रों तक ही सीमित था, लेकिन अब डिजिटल माध्यमों के कारण यह अत्यधिक समृद्ध हो रहा है।

बाल साहित्य में डिजिटल साहित्य आधुनिक समय के परिवेश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। डिजिटल माध्यमो ने बाल पाठको को अपनी तरफ विशेष रूप से आकर्षित किया। आज का बालक केवल पाठक या श्रोता न होकर एक परस्पर क्रिया करने वाले उपयोगकर्ता के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे में अगर डिजिटल बाल साहित्य बालमन में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के संवर्धन का माध्यम बनकर सामने आता हैं तो साहित्य और समाज की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

3. **डिजिटल बाल साहित्य**

डिजिटल बाल साहित्य से अभिप्राय उस साहित्यिक सामग्री से है जो बच्चो को डिजिटल माध्यमों से जैसे इन्टरनेट ,एनीमेशन ,ऑनलाइन, ई पत्रिकाओं , मोबाइल एप तथा आडियो-विडियो प्लेटफार्म के माध्यम से मिलती है ।इसमे बालक अपनी रोचक कहानियों, पत्र-पत्रिकाओं को श्रव्य-दृश्य माध्यमों से देखता-सुनता और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी करता है ।वर्तमान समय में डिजिटल तकनीकियों ने बाल साहित्य की संरचनात्मक एवं प्रस्तुतीकरण में उल्लेखनीय परिवर्तन किये। इंटरनेट, मोबाइल एप्स और डिजिटल पुस्तकों के माध्यम से बाल साहित्य का स्वरूप अधिक व्यापक और प्रभावीशाली हो गया है। पहले बालक पुस्तकों में केवल कहानियों को पढ़कर समझता था, धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन हुए तो वह उन कहानियों को चित्रों के माध्यम से समझने लगा और आज वर्तमान समय में डिजिटल तकनीकी के माध्यम से वह उन कहानियों को आत्मसात कर रहा है।

“बाल साहित्य समाज की बदलती परिस्थितियों के साथ निरंतर नए रूप ग्रहण करता रहा है।”**2** प्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉ. सुरेंद्र विक्रम का यह विचार डिजिटल बाल साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट करता है क्योंकि जिस तरह समाज और तकनीक में परिवर्तन होता है, वैसे-ही बाल साहित्य में भी विविध प्रकार के आयामों का समावेश हुआ है । डिजिटल बाल साहित्य उसी परिवर्तनशील प्रक्रिया का आधुनिक रूप है,

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

जिसमें पारंपरिक बाल साहित्य की मूल्यपरक संवेदनाएं नई तकनीक जैसे इन्टरनेट ई-बुक,आडियो-बुक एनिमेशन आदि के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाए जा रहे हैं।

20वीं सदी में जहां बाल साहित्य केवल लिखित रूप में प्रदर्शित हो रहा था वही **21**वीं सदी में यह ऑनलाइन ,ऑडियो-वीडियो बुक्स के रूप में दिखाई दे रहा है ।डिजिटल बाल साहित्य साहित्य को भौगोलिक सीमाओं से मुक्त कर वैश्विक स्तर पर इसका संवर्धन कर रहा है। जहां बालक विविध भाषा-भाषी डिजिटल कहानियों को पढ़कर उन पर अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है तथा उससे मिलने वाले राष्ट्रीय , सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों को आत्मसात करता है। डिजिटल बाल साहित्य मुद्रित बाल साहित्य का केवल परिवर्तित रूप ही नहीं अपितु एक नई भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। जिसमें श्रव्य-दृश्य साधनों के साथ-साथ पाठक की सहभागिता का भी समावेश होता है ।पारंपरिक रूप से भिन्न हटकर बालक डिजिटल तकनीकियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं, ऑडियो-वीडियो क्लिपों को देखकर-सुनकर अपने श्रवण-वाचन कौशलों का विकास करता है। इसके साथ ही चित्रात्मक और संगीतात्मक साहित्य के माध्यम से प्राप्त अनुभव अविस्मरणीय होते हैं।

इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया और विविध प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों ने हिंदी लेखकों को भी अपनी रचनात्मकता को व्यापक रुप में पाठक-वर्ग तक पहुँचाने के नए साधन प्रदान किए हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे मंचों ने लेखक और पाठक के मध्य संवाद को प्रत्यक्ष और सक्रिय बनाया है। अतः इस अंतः क्रियात्मक संबंध ने साहित्य की भाषा-शैली, विषय-वस्तु और प्रस्तुतियों में भी परिवर्तन उत्पन्न किया है। इस प्रकार, डिजिटल युग ने हिंदी साहित्य के स्वरूप, संरचना और संप्रेषण प्रणाली को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप साहित्य अधिक सुलभ, बहुआयामी और संवादपरक बनकर उभरा है।

प्रख्यात बाल-गीतकार निरंकार देव सेवक के अनुसार "बाल साहित्य वह साहित्य है जिसमें बच्चों की रुचि, जिज्ञासा, इच्छा-आकांक्षा, राग-द्वेष, भावना और कल्पना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो।"**3** लेखक निरंकार देव सेवक कि इस अवधारणा को डिजिटल माध्यम और अधिक व्यापक बना देता है क्योंकि इस माध्यम से बालक केवल पाठक नहीं रहता है बल्कि दृश्य-श्रव्य और इंटरैक्टिव माध्यमों के द्वारा साहित्य का अनुभव कर उसका सक्रिय सहभागी बन जाता है।

इसी प्रकार प्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉ. राष्ट्रबंधु का विचार है कि बाल साहित्य में रोचकता और प्रेरणा का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर साहित्य रोचक नहीं होगा तो वह बालकों में जिज्ञासा और कौतुहल नहीं उत्पन्न कर सकेगा, न ही मूल्यपरक गुणों का विकास कर सकेगा और उसका शैक्षिक उद्देश्य भी अधूरा रह जाएगा। वर्तमान समय में डिजिटल बाल साहित्य इन दोनों तत्वों को सशक्त रूप से प्रस्तुत करता है,

क्योंकि इसमें चित्र, ध्वनि, एनीमेशन और इंटरैक्टिवता के माध्यम से रोचकता बढ़ती है तथा साहित्य के माध्यम से बालक में प्रेरणात्मक संदेश भी प्रभावी रुप से संप्रेषित होते हैं।**4**

4. **डिजिटल बाल साहित्य समग्र मूल्य चेतना का संवर्धक**

बाल साहित्य केवल पारम्परिक मूल्यों के प्रस्तुतीकरण का माध्यम होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बालको में सम्पूर्ण मूल्य चेतना को विकसित करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। राष्ट्रीय एवं नैतिक मूल्यों की दृष्टि से डिजिटल बाल साहित्य विशेष महत्व रखता है। डिजिटल कथाओं में राष्ट्रप्रेम, विविधता में एकता, सामाजिक समरसता, सहिष्णुता, सहयोग, ईमानदारी और संवेदनशीलता जैसे मूल्यों को आधुनिक कथ्य और आकर्षक प्रस्तुति के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है। यहाँ मूल्य उपदेशात्मक रूप में नहीं, बल्कि अनुभवात्मक और सहभागितापूर्ण रूप में प्रस्तुत होते हैं। उदाहरणतः किसी डिजिटल कहानी में पर्यावरण-संरक्षण का संदेश केवल कथन के रूप में नहीं, बल्कि पात्रों की गतिविधियों, चित्रात्मक प्रस्तुति और अंत में सहभागिता-आधारित प्रश्नों के माध्यम से दिया जाता है। इसी प्रकार डिजिटल माध्यम के द्वारा बच्चे विभिन्न देशों की सभ्यता और संस्कृतियों से सुलभता से परिचित होते हैं । डिजिटल तकनीकियों के माध्यम से बालक सरलता पूर्वक किसी भी कहानी के मौलिक उद्देश्य और उससे मिलने वाले शिक्षाओं को समझता है और आत्मसात करता है तथा इसके साथ-साथ बालक में अंतर सांस्कृतियों की समझ भी विकसित होती है । जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार डिजिटल साहित्य बालमन के लिए जितना लाभदायक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। जहां एक तरफ बालक विज्ञान ,इतिहास ,पर्यावरण और समाजशास्त्र जैसी विभिन्न जानकारियों को आसानी से प्राप्त कर लेता है तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों में पारंपरिक रूप से इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए पढ़ने वाली पुस्तकों के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो रही है। डिजिटल साहित्य के माध्यम से बालमन का मनोरंजन हो रहा है और उनमें कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है लेकिन इन्हीं मनोरंजनपूर्ण साधनों से बालक कभी-कभी उग्रवादी और विरोधी बनता हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बाल साहित्य में डिजिटल तकनीकियों का प्रयोग संतुलित, उद्देश्य पूर्ण और मूल्यपरक तरीके से किया जाए। जिससे इसका बालमन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े ।

5. निष्कर्ष

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिजिटल युग में बाल साहित्य का स्वरूप अधिक व्यापक, प्रभावशाली और विविधतापूर्ण हो गया है। डिजिटल साहित्य के प्रयोग से बाल साहित्य का स्वरूप और आधुनिक तथा आकर्षक हो गया ।यह केवल ज्ञान और मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि बालक के सर्वांगिण विकास का सशक्त माध्यम बन गया है।

यदि डिजिटल बाल साहित्य का उपयोग संतुलित रुप से मूल्यपरक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाए, तो यह बालकों के संपूर्ण कौशल और मूल्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः वर्तमान समय में डिजिटल बाल साहित्य को बाल शिक्षा और समाज निर्माण की प्रक्रिया का एक अत्यंत आवश्यक एवं प्रभावशाली अंग माना जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. आधुनिक हिन्दी में बाल साहित्य का विकास, डॉ० विजय लक्ष्मी सिन्हा, प्रथम संस्करण **1986.** पृष्ठ संख्या-**11.** प्रकाशक साहित्यवाणी, **28,** पुराना अल्लापुर, इलाहाबाद-**211006.**

2. निरंकार देव सेवक द्वितीय संस्करण **2013,** बाल साहित्य इतिहास एवं समीक्षा, सम्पादक प्रो० उषा यादव, पृष्ठ संख्या-**7.8.** प्रकाशक उत्तद प्रदेश हिन्दी संस्थान, **6-** महात्मागांधी मार्ग, लखनऊ-**226001**

3. डॉ० सुरेद्र विक्रम हिंदी बाल पत्रकारिता उद्भव और विकास पृ. **9**

4. श्री निरकार देव सेवक बाल गीत परंपरा विकास और संभावनाएँ लेखमाल साहित्य रचना हरिकृष्ण देवसरे पृ० **53**

5. डॉ राष्ट्रबंधु, मेरे प्रिय बालगीत पृ. **6**

6. **Story Weaver** – बच्चों की डिजिटल कहानियों का ओपन प्लेटफॉर्म।

7. **National Digital Library of India** – भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल लाइब्रेरी।

8. **Google Books** – ई-बुक और पुस्तक पूर्वावलोकन का डिजिटल मंच।

9. **Internet Archive** – ऑनलाइन डिजिटल पुस्त